Postal Reg. No.GDP -45/2020-2022

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

अल्लाह तआला का आदेश

رَبَّنَاۤ اِنَّکَ مَنۡ تُدۡخِلِ النَّارَ فَقَدۡ اَخۡزَیۡتَہٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِیۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ ○

(آل عمران:193)

अनुवाद: हे हमारे रब! जिस किसी को तूने आग में डाला,तो निसन्देह उसे तूने अपमानित कर दिया और अत्याचारियों का कोई मददगार नहीं होगा।

वर्ष- 10
अंक - 4

मूल्य
600 रुपए
वार्षिक

साप्ताहिक क़ादियान

बदर

Weekly
BADAR Qadian
HINDI

संपादक
शेख़ मुजाहिद अहमद

उप संपादक
सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद

22 रजब 1446 हिज्री कमरी, 23 सुलह 1404 हिज्री शम्सी, 23 जनवरी 2025 ई.

अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दो लिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण आप पर अपना फ़ज़ल नाज़िल करता रहे। आमीन

ख़ुत्बः जुमअः

’’सुलह हुदैबिया के शुभ परिणामों में से एक यह भी है कि लोगों को आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पास आने का अवसर मिला और उन्होंने पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की बातें सुनीं, तो उनमें से सैकड़ों मुसलमान हो गए।

जब तक उन्होंने आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की बातें नहीं सुनी थीं, उनके और पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बीच एक दीवार थी, जो उन्हें आपके हुस्न और जमाल की जानकारी पाने से रोकती थी।‘‘ (हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम)

पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "ऐ अबू जंदल! सब्र करो और सवाब की उम्मीद रखो। यकीनन अल्लाह तआला तुम्हारे लिए और तुम्हारे कमज़ोर साथियों के लिए राहत और निजात का रास्ता पैदा करेगा। हमने क़ौम के साथ सुलह का समझौता किया है, और हमने उनसे और उन्होंने हमसे अहद किया है। हम धोखा नहीं करते।"

रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "मैंने तुम्हें बहुत से आदेश दिए, लेकिन मैंने तुममें से ईमानदार लोगों के अंदर भी कभी-कभी विरोध की भावना देखी। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो के अंदर मैंने यह भावना कभी नहीं देखी।"

अगर गौर किया जाए, तो वास्तव में सुलह हुदैबिया हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है।
गज़वा-ए-हुदैबिया की घटनाओं और हालात का विस्तृत वर्णन।

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो’मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 29 नवंबर 2024 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिर्रे (यू.के)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ

सुलह हुदैबिया की घटना का उल्लेख हो रहा है। मैं इसकी अधिक जानकारी पेश करूंगा। इस अवसर पर सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) को पहरे की ड्यूटी पर लगाया गया था। उल्लेख मिलता है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने रात के समय अपने सहाबा को पहरे का आदेश दिया था। हर रोज़ पहरा होता था। तीन लोग बारी-बारी से पहरा दिया करते थे। इनमें हज़रत औस बिन खौली रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्बाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु अन्हु और मुहम्मद बिन मस्लमा रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल थे। एक रात हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सुरक्षा के लिए नियुक्त थे, तो क़ुरैश ने मिक्रज़ बिन हफ्स की निगरानी में पचास लोगों को भेजा। उन्हें आदेश दिया गया था कि वे नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के आस-पास चक्कर लगाएं और उम्मीद करें कि मुसलमानों में से किसी को नुकसान पहुंचा सकें। हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें पकड़ लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पास ले आए। मिक्रज़ भाग गया और उसने अपने साथियों को सतर्क किया।

इससे नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का वह कथन सत्य साबित हो गया, जिसका उल्लेख पिछले खुत्बे में किया गया था कि मिक्रज़ एक धोखेबाज व्यक्ति है। यह भी उल्लेख मिलता है कि कुछ मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की अनुमति से मक्का में दाखिल हुए थे। इनमें कुर्ज़ बिन जाबिर फहरी, अब्दुल्लाह बिन सुहैल, अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा सहमी, अबू रूम बिन उमैर अब्दरी, अय्याश बिन अबी रबीआ, हिशाम बिन आस, अबू हातिब बिन अम्र, उमैर बिन वहब, हातिब बिन अबी बल्ता और अब्दुल्लाह बिन उमय्या शामिल थे। यह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सुरक्षा में मक्का में दाखिल हुए थे।

जब क़ुरैश को इन मुसलमानों की खबर मिली, तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। साथ ही क़ुरैश को यह भी पता चला कि उनके पचास लोग मुसलमानों के क़ैदी हो गए हैं। फिर क़ुरैश का एक और सशस्त्र दस्ता नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और उनके साथियों पर हमला करने आया और पत्थर और

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान

तीर फेंकने लगे।

मुसलमानों ने मुशरिकों के बारह घुड़सवारों को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों में से हज़रत इब्न जुनेम रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, जिन्हें क़ुरैश ने तीर मार कर हत्या कर दी।

इसके बाद क़ुरैश ने एक दल नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पास भेजा, जिसमें सुहैल बिन अम्र भी था। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उसे दूर से देखा, तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया, "सुहैल के जरिए तुम्हारा मामला सुलह यानी आसान हो गया।"

सुहैल ने नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पास पहुंचकर कहा, "आपके साथियों, यानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और अन्य दस सहाबा को क़ैद करने और हमारे कुछ लोगों के आपके खिलाफ मुकाबला करने के मामले में हमारी रायशुदा जमात का कोई हाथ नहीं है। हमें इस बात का पता चला, तो हमें बहुत नाराज़गी हुई। यह हमारे कुछ आवारा लोगों का काम था। इसलिए हमारे जो लोग आपने दोनों बार में पकड़े हैं, उन्हें हमें लौटा दीजिए।"

नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

मैं उन्हें तब तक नहीं भेजूंगा जब तक तुम मेरे साथियों को रिहा नहीं करोगे। इस पर सभी ने कहा, "ठीक है, हम उन्हें छोड़ देते हैं।" इसके बाद क़ुरैश ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हो और बाकी दस साथियों को रिहा कर दिया। इस समय पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके लोगों को रिहा कर दिया।

(सब्लुल् हुदा वल् रिशाद , खंड 5, पृष्ठ 48, दारुल कुतुब इल्मिया, बेरुत)

जैसा कि अभी उल्लेख किया गया और पहले भी पिछले ख़ुत्बे में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हो के बारे में बताया गया था कि उन्हें काफ़िरों ने गिरफ्तार कर लिया था। जब यह ख़बर पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, तो आपने सहाबा से एक बैत (प्रतिज्ञा) ली थी। यह एक ऐसा वचन था जिसे बैअत-ए-रिज़वान कहा जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी यह है कि जब क़ुरैश को हुदैबिया में की गई इस बैअत की बात का पता चला, तो वे बहुत भयभीत हो गए। उन्हें भी यह मालूम हो गया कि यह बैअत हो चुकी है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी मुसलमानों से यह वचन लिया है। इसके बाद उनके समझदार लोगों ने सलाह दी कि समझौता करना बेहतर होगा। यानी इस साल इस तरह समझौता किया जाए कि आप वापस लौट जाएं और अगले साल तीन दिन मक्का में ठहरने की अनुमति हो। लेकिन आपके साथ केवल एक सवार के जरूरी हथियार जैसे म्यान में रखी तलवार और धनुष हों, इसके अलावा कुछ नहीं। इस सलाह के बाद क़ुरैश ने दुसरी बार सुहैल बिन अम्र को भेजा। उसके साथ मिक्ररिज़ बिन हफ़्स और हुयतिब बिन अब्दुलउज़्ज़ा भी थे। ये लोग पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यह प्रस्ताव लेकर आए कि इस साल आप बिना उमरा किए ही लौट जाएं ताकि अरब यह न कहें कि आप ताक़त के बल पर क़ुरैश की मर्ज़ी के खिलाफ मक्का में दाखिल हो गए। और अगले साल उमरा के लिए दुबारा आ जाएं।

जब सुहैल सामने आया, तो पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दूर से देखकर फ़रमाया:

"उस व्यक्ति को दुबारा भेजने का मतलब है कि क़ुरैश ने समझौते का इरादा किया है।"

(सीरत-ए-हलबी, खंड 3, पृष्ठ 27, दारुल कुतुब इल्मिया, बेरूत) हुदैबिया के अवसर पर सुलह के बारे में हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब रज़ियल्लाहु अन्हो ने इस तरह लिखा है :

"जब सुहैल बिन अम्र पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, तो आपने उसे देखते ही फ़रमाया: यह सुहैल आता है। अब, अल्लाह ने चाहा, तो मामला आसान हो जाएगा।" यानी सरल हो जाएगा।

"बहरहाल, सुहैल आया और आते ही पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, 'आइए, (अब लंबी बहस को छोड़िए), हम समझौते के लिए तैयार हैं।'

पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 'हम भी तैयार हैं।' और इसके साथ ही आपने अपने सचिव (हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो) को बुला लिया। (और क्योंकि शर्तों पर एक सामान्य चर्चा पहले ही हो चुकी थी और विवरण तय किए जाने थे), इसलिए लेखक के आते ही पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 'लिखो।' हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो से फ़रमाया, 'लिखो।' ख़ुद आपने लिखवाना शुरू किया।

बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम से शुरुआत की। "सुहैल सुलह के लिए तो तैयार था, लेकिन क़ुरैश के अधिकारों की सुरक्षा और मक्का के सम्मान की रक्षा के लिए भी सतर्क था। उसने तुरंत कहा, 'यह "रहमान" का शब्द कैसा है? हम इसे नहीं जानते। जिस तरह अरब लोग हमेशा से लिखते आए हैं, उसी तरह लिखो, यानी बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम

बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम न लिखो, बल्कि बिइस्मिका अल्लाहुम्मा लिखो।

"दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए भी यह उनकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और धार्मिक स्वाभिमान का सवाल था। वे भी इस बदलाव पर तुरंत चौंक पड़े और कहने लगे, 'हम तो जरूर बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम ही लिखेंगे।' परंतु पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर मुसलमानों को शांत कर दिया कि, 'नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं। जैसे सुहैल कहता है, उसी तरह लिख लो।'

इसलिए, बिइस्मिका अल्लाहुम्मा के शब्द लिखे गए। इसके बाद पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 'लिखो: यह वह समझौता है, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने किया है।

"सुहैल ने फिर टोका, 'यह "रसूलुल्लाह" का शब्द हम नहीं लिखने देंगे। अगर हम यह मान लें कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर यह पूरा विवाद ही खत्म हो जाता है और हमें न तो आपको रोकने का हक है और न ही आपका मुकाबला करने का। बस, जैसा हमारा रिवाज है, केवल यह लिखो कि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने यह समझौता किया है।'

"पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 'तुम लोग मानो या न मानो, मैं अल्लाह का रसूल हूं।' लेकिन क्योंकि मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह भी हूं, तो चलो, यही सही।'

"इस तरह लिख लो: 'मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने यह समझौता किया है।'

"मगर इस दौरान आपके सचिव हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो ने समझौते की लिखावट में 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' के शब्द लिख दिए थे। पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो से फ़रमाया, 'मुहम्मद रसूलुल्लाह के शब्द मिटा दो और उनकी जगह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह के शब्द लिख दो।' मगर उस समय जोश की स्थिति थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो ने स्वाभिमान में आकर अर्ज़ किया, 'हे रसूलुल्लाह! मैं तो आपके नाम के साथ "रसूलुल्लाह" के शब्द कभी नहीं मिटाऊंगा।'

"आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी भावनात्मक स्थिति को देखकर फ़रमाया, 'अच्छा, तुम नहीं मिटाते तो मुझे दो, मैं ख़ुद मिटा देता हूं।' फिर आपने समझौते के कागज (या जो कुछ भी वह था) को हाथ में लिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो से उन शब्दों की जगह पूछकर "रसूलुल्लाह" के शब्दों को अपने हाथ से मिटा दिया और उनकी जगह "बिन अब्दुल्लाह" के शब्द लिख दिए।"

(सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब रज़ियल्लाहु अन्हो, एम.ए., पृष्ठ 764-765)

हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब रज़ियल्लाहु अन्हो इस बात को अपनी किताब में इस तरह वर्णन करते हैं :

"इसके बाद आपने (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) लिखवाया कि, 'समझौता यह है कि मक्का के लोग हमें काबा का तवाफ करने से नहीं रोकेंगे।'

सुहैल ने तुरंत कहा, 'ख़ुदा की कसम! इस साल तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, वरना अरबों में हमारी नाक कट जाएगी। हाँ, अगले साल आप लोग आकर तवाफ कर सकते हैं।'

आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, 'अच्छा, यही लिखो।'

फिर सुहैल ने अपनी तरफ से यह शर्त लिखवाई कि मक्का के किसी भी व्यक्ति को मुसलमानों के साथ शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी, चाहे वह मुसलमान हो। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मुसलमानों के पास जाएगा, तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा।

सहाबा ने इस पर विरोध करते हुए कहा, 'सुभानल्लाह! यह कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति मुसलमान हो जाए और हम उसे वापस लौटा दें।'

(सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब रज़ियल्लाहु अन्हो, एम.ए., पृष्ठ 766)

इस दौरान समझौता लिखवाया जा रहा था।

इसी दौरान अचानक हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हो बिन सुहैल आ

गए।

उनके पैरों में जंजीरें थीं। वह मक्का के निचले इलाके से निकलकर मुसलमानों के सामने आकर गिर पड़े। सुहैल, जो समझौता लिखवा रहा था, उनका ही बेटा था और मुसलमान हो गया था। उनके पिता सुहैल ने उन्हें जंजीरों में बांधकर कैद कर रखा था। वह कैदखाने से भागकर आम रास्तों से बचते हुए पहाड़ों के रास्ते हुदैबिया आ पहुंचे।

मुसलमान उन्हें देखकर खुश हुए और मुबारकबाद देने लगे।

जब हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हो के पिता सुहैल ने उन्हें देखा, तो उनकी ओर बढ़कर उनके चेहरे पर कांटेदार टहनी से मारा और उन्हें पकड़कर कहा, "ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! यह पहला मामला है, जिसके बारे में मैंने आपके साथ समझौता किया है। अब आप इसे वापस कर दें।"

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "अभी तक सुलहनामा पूरा नहीं हुआ।"

सुहैल ने कहा, "खुदा की कसम! तब तक मैं किसी बात पर भी समझौता नहीं करूंगा।"

आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने कहा, "आप इसे मेरे लिए छोड़ दीजिए।"

आपने फिर सिफारिश करते हुए कहा, "अच्छा, मेरे लिए इसे छोड़ दो।"

सुहैल ने कहा, "मैं इसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा।"

आपने फिर कहा, "नहीं, तुम इसे छोड़ दो।"

सुहैल ने साफ इंकार कर दिया। मिक्रिज़ बिन हफ्स और हुयतेब बिन अब्दुलउज़्ज़ा, जो सुहैल के साथ थे, ने कहा, "हमने इसे आपके लिए छोड़ दिया है।"

दोनों ने हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हो को पकड़कर एक खेमे में ले जाकर उन्हें अनुमति दे दी। लेकिन उनके पिता सुहैल ने फिर भी इंकार कर दिया।

हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा, "ऐ मुसलमानों के समूह! क्या अब मुझे फिर से मुशरिकों के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि मैं मुसलमान होकर आया हूँ? क्या आप वे कठिनाइयाँ नहीं देख रहे, जो मुझे झेलनी पड़ी हैं, और मुझे किस तरह के सख्त अज़ाब दिए जाते थे?"

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ बुलंद करते हुए फ़रमाया :

"ऐ अबू जंदल! सब्र करो और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखो। बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे लिए और तुम्हारे जैसे कमज़ोर साथियों के लिए राहत और निजात का रास्ता पैदा करेगा। हमने इस क़ौम के साथ सुलह का समझौता किया है, और हमने उन्हें और उन्होंने हमें वचन दिया है। हम धोखा नहीं करते।"

(सब्लुल् हुदा वल् रिशाद, खंड 5, पृष्ठ 55-56, दारुल कुतुब इल्मिया, बेरूत)

इस अवसर पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो के जोश और खरोश का ज़िक्र भी मिलता है।

लिखा है कि मुसलमानों ने इन शर्तों को नापसंद किया और गुस्सा हो गए। सुहैल ने इन शर्तों के अलावा सुलह करने से इंकार कर दिया। जब सुलह तय हो गई और केवल लिखना बाकी था, तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा:

"हे रसूलुल्लाह! क्या हम हक़ पर नहीं हैं और वे काफिर बातिल (झूठ) पर नहीं हैं?"

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "क्यों नहीं!"

उन्होंने कहा: "क्या हमारे मरे हुए लोग जन्नत में नहीं और उनके मरे हुए लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे?"

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : "क्यों नहीं!"

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा: "तो फिर हम हुदैबिया के दिन जो सुलह कर रहे हैं, अपने दीन (धर्म) से जुड़ी ऐसी जिल्लत (अपमान) क्यों बर्दाश्त करें? क्या हम यहां से ऐसे ही लौट जाएं, जब तक कि अल्लाह हमारे और उनके बीच फैसला न कर दे? बिना लड़े और बिना हक़ लिए चले जाएं?"

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

"मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं। मैं उसकी नाफरमानी नहीं करता, और वह मुझे हरगिज़ बरबाद नहीं करेगा। वह मेरी मदद करने वाला है।"

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा : "क्या आपने हमें नहीं बताया था कि हम जल्दी ही काबा आएंगे और उसका तवाफ करेंगे?"

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : "क्यों नहीं!

लेकिन क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम इसी साल आओगे?"

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा: "नहीं।"

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "बेशक तुम काबा आओगे और उसका तवाफ करोगे।"

फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो गुस्से में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो के पास गए। उन्होंने अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और कहा:

"हे अबू बकर! क्या यह अल्लाह के नबी हक़ पर नहीं हैं?"

हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा: "क्यों नहीं!"

फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा : "क्या वे बातिल पर और हम हक़ पर नहीं हैं? क्या हमारे मरे हुए लोग जन्नत में और उनके मरे हुए लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे?"

हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा: "क्यों नहीं!"

इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा: "तो फिर क्यों हम अपने दीन में कमज़ोरी दिखाएं और इस हालत में लौट जाएं कि अल्लाह ने हमारे और उनके बीच फैसला नहीं किया?"

हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा:

"वह अल्लाह के रसूल हैं और अपने रब की नाफ़रमानी नहीं करते। और अल्लाह उनकी मदद करने वाला है।"

फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा:

"तुम अपने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत (आज्ञाकारिता) के साथ मरते दम तक जोड़े रखो। अल्लाह की कसम! वह हक़ पर हैं।"

और एक रिवायत (कथा) में है कि उन्होंने कहा: "वह अल्लाह के रसूल हैं।"

फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा: "मैं गवाही देता हूं कि बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।"

फिर कहा: "क्या वह हमसे यह वर्णन नहीं करते थे कि हम जल्द ही काबा आएंगे और उसका तवाफ करेंगे?"

हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने जवाब दिया: "क्यों नहीं! लेकिन क्या आपने बताया था कि आप इसी साल तवाफ करेंगे?"

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा: "नहीं।"

तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा:

"तुम जरूर काबा जाओगे और उसका तवाफ करोगे।"

बहरहाल, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो पर यह शर्तें बहुत भारी गुज़रीं।

बुखारी में यह वर्णन है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने वर्णन किया:

"अल्लाह की कसम! जब से मैंने इस्लाम कुबूल किया, मैंने कभी शक नहीं किया सिवाय हुदैबिया के दिन के। और उस दिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का जवाब दिया। यानी मैं आमतौर पर चुप रहता था, लेकिन उस दिन मैंने बात की।"

हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा:

"ऐ इब्ने खत्ताब! जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उसे क्यों नहीं सुनते? तुम शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो और अपनी राय को सही करो।"

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा:

"फिर मैंने अल्लाह की पनाह मांगी। मुझे इतनी शर्म कभी महसूस नहीं हुई थी। फिर मैंने अच्छे काम किए ताकि उस गुनाह की माफी हो सके जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानने में देरी करके किया था।"

उन्होंने कहा:

"मैं इस बातचीत की वजह से, जो मैंने हुदैबिया के अवसर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी, सदका करता रहा, रोज़े रखता रहा और गुलाम आजाद करता रहा, यहां तक कि मुझे उम्मीद हो गई कि अब अल्लाह मुझे माफ कर देगा।"

(सब्लुल् हुदा वल् रिशाद , खंड 5, पृष्ठ 52-53, दारुल कुतुब इल्मिया, बेरूत

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस वाक़िए को इस तरह बयान किया है कि "एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब होते हुए फ़रमाया कि मैंने तुमसे बहुत सी हिदायतें दीं, लेकिन मैं ने तुम में से मुख़्लिस तरीन लोगों के अंदर भी कभी-कभी एहतिजाज (आलोचना) की रूह देखी, लेकिन अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर मैंने ये रूह कभी नहीं देखी।"

हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की यह सिफत वर्णन की कि कभी उन्होंने मेरी बात का इंकार नहीं किया, चाहे उन्हें पसंद हो या न हो। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि "चुनांचे सुलह हुदैबिया के अवसर पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा इंसान भी घबराया और वह उसी घबराहट की हालत में हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िदमत में गए और कहा कि क्या हमारे साथ अल्लाह का यह वादा नहीं था कि हम उमरा करेंगे? उन्होंने कहा हां, अल्लाह का वादा था। उन्होंने कहा, क्या अल्लाह का हमारे साथ यह वादा नहीं था कि वह हमारी तायिद और मदद करेगा? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हां था। उन्होंने कहा, तो फिर क्या हमने उमरा किया? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु! अल्लाह ने कब कहा था कि हम उसी साल उमरा करेंगे? फिर उन्होंने कहा, क्या हमें फतह और मदद मिली? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल फतह और मदद के मानी हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन उमर की इस जवाब से तसल्ली नहीं हुई और वह उसी घबराहट की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह! क्या अल्लाह का हमसे यह वादा नहीं था कि हम मक्का में तवाफ करते हुए दाखिल होंगे? आपने फ़रमाया हां। उन्होंने अर्ज किया, क्या हम अल्लाह की जमात नहीं हैं? और क्या अल्लाह का हमारे साथ फतह और मदद का वादा नहीं था? आपने फ़रमाया हां, था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो या रसूलुल्लाह! क्या हमने उमरा किया? आपने फ़रमाया, अल्लाह ने कब कहा था कि हम उसी साल उमरा करेंगे? यह तो मेरा ख्याल था कि इस साल उमरा होगा, अल्लाह ने तो कोई तायीन नहीं की थी। उन्होंने कहा, तो फिर फतह और मदद के वादे के क्या माने हुए?" हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सवाल किया। "आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मदद अल्लाह की जरूर आएगी और जो वादा उसने किया है वह हर हाल में पूरा होगा।" यानि जो जवाब हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था वही जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दिया।

(खुत्बात-ए-महमूद भाग 20, पृष्ठ 382)

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में यह अलग-अलग रिवायतें मिलती हैं कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपने जज़्बात का इज़्हार करते और फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास वही बातें करते। तरतीब में फर्क है जैसे पहले बयान की और अब बयान की, लेकिन वाक़िया आखिरकार एक ही है और इस वाक़िये की सच्चाई पर उनके आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।

सुलह के मुआहिदे की तहरीर के बारे में सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम में हज़रत मिर्जा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं कि "बहरहाल बड़ी रद्दो कद के बाद यह मुआहिदा तकमील को पहुंचा और क़रीबन् अम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को छोड़ कर कुरैश का मुतालिबा मान लिया और खुदाई इच्छा के अधीन अपने इस अ़हद को पूरी वफ़ादारी के साथ पूरा किया कि बैतुल्लाह के इकराम की खातिर कुरैश की तरफ से जो मुतालिबा भी होगा उसे मान लिया जाएगा और हर अवस्था में हरम के इज़्ज़त को क़ायम रखा जाएगा। इस मुआहिदे की शरायत इस प्रकार थीं :

1. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और आपके साथी इस साल वापस चले जाएंगे।

2. अगले साल वे मक्का में आकर रसम उमरा अदा कर सकते हैं, मगर केवल न्यूम में बंधी तलवार के सिवा कोई हथियार साथ न हो और मक्का में तीन दिन से ज्यादा न ठहरें।

3. अगर कोई मर्द मक्का वालों में से मदीना जाए तो चाहे वह मुसलमान हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उसे मदीना में पनाह न देंगे और वापस लौटा देंगे। चूंकि इस सिलसिले में सही बुखारी के अल्फ़ाज़ ये हैं कि "لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا" अर्थात "हम में से अगर कोई मर्द आपके पास जाए तो आप उसे वापस लौटा देंगे," लेकिन अगर कोई मुसलमान मदीना छोड़कर मक्का आ जाए तो उसे वापस नहीं लौटा जाएगा।" उन्होंने अपनी शर्त मनवाली कि मुसलमान होकर अगर कोई मदीना जाता है तो वापस होगा, लेकिन अगर मुसलमान किसी तरह मक्का में आ जाए और पकड़ा जाए तो उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा।

"और एक रिवायत में यह है कि अगर मक्का वालों में से कोई शख्स अपने वली यानी गार्डियन की इजाज़त के बिना मदीना आ जाए, तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा।

4. अरब क़बायल में से जो क़बीला चाहे, मुसलमानों का हमदर्द बन सकता है और जो चाहे, अहल-ए-मक्का का।"

और पांचवीं शर्त यह थी कि "5. यह मुआहिदा फिलहाल दस साल तक के लिए होगा और इस अवधि में क़ुरैश और मुसलमानों के बीच जंग बंद रहेगी।"

सुलह हुदैबिया के गवाहों के बारे में तफसील इस तरह है कि "इस मुआहिदा की दो नकलें की गईं और बतौर गवाह के, दोनों पक्षों के कई इज़्ज़तदारों ने उन पर दस्तख़त किए। मुसलमानों की तरफ से दस्तख़त करने वालों में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु (जो उस वक़्त तक मक्का से वापस आ चुके थे), अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, सआद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मुआहिदा की तकमील के बाद सुहैल बिन अमर मुआहिदा की एक नकल लेकर मक्का की तरफ वापस लौट गए और दूसरी नकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास रही।"

(सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम, हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु अन्हु, पृष्ठ 768-769)

सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु में बेचैनी का भी वर्णन मिलता है जैसा कि पहले भी ज़िक्र किया गया था कि जब आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इस तहरीर के मुद्दे से फारिग़ हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फ़रमाया कि उठो, अपने ऊंटों को ज़बह करो। फिर सिर मुंडवाओ। तो उनमें से कोई एक भी खड़ा न हुआ, यहाँ तक कि आपने यह बात तीन दफ़ा कही।

(सबलुल हुदा वल् रिशाद, भाग 5, पृष्ठ 56, दारुल कुतुब अल् इल्मिया, बेरूत)

हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे इस तरह बयान किया है कि "जब सुहैल वापस जा चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फ़रमाया कि 'लो अब उठो और यहीं अपनी क़ुर्बानियाँ ज़ब्ह कर के सिर के बाल मंढवा दो। (क़ुर्बानी के बाद सिर के बालों को मंढवाया या कटवाया जाता है) और वापसी की तैयारी करो।' परंतु सहाबा को इस रुसवा करने वाले मुआहिदा की वजह से सख्त सदमा था और साथ ही जब उन्हें इस बात का ख्याल जाता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हमें एक ख्वाब की बुनियाद पर यहाँ लाए थे और अल्लाह ताआला ने ख्वाब में तवाफ़ बेतुल्लाह का मंज़र भी दिखाया था, तो उनकी तबीयत बहुत बैचैन होने लगी और वे क़रीब-क़रीब बेजान की तरह बेहिस और हरकत से बेखबर पड़े थे। उन्हें अल्लाह के रसूल पर पूरा यकीन था और उसके वादे पर भी पूरा यकीन था, मगर इंसानियत के तकाजों के तहत उनके दिल इस ज़ाहिरी नाकामी पर ग़मों से नडाल थे।"

तुरंत प्रतिक्रिया यह थी: "इसलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उनसे यह फ़रमाया कि अब यहीं क़ुर्बानी के जानवर ज़ब्ह कर दो, मक्का में हम दाखिल हुए हैं या नहीं, काबा में गए हैं या नहीं, तवाफ़ किया है या नहीं, यहाँ बैठे हैं क़ुर्बानी कर दो और वापिस लौट चलो, तो किसी सहाबी ने सामने से हरकत न की। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। जो क़ुर्बानियाँ करने लाए थे, सब बैठे रहे।"

"यह इसलिए नहीं कि वे नाफ़रमानी कर रहे थे, क्योंकि सहाबा से बढ़कर दुनिया के पर्दे पर कोई फरमांबरदार जमाअत नहीं गुज़री। फिर यह उनकी तरफ से नाकामी या नआफ़रमानी के रूप में नहीं था, बल्कि इसलिए था कि ग़म और ज़ाहिरी ज़िल्लत के एहसास ने उन्हें इतना नडाल कर दिया था कि वे ग़ोया सुनते हुए भी न सुन रहे थे और देखते हुए भी उनकी आँखें काम न कर रही थीं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने हुक्म को दुबारा, तीन बार दोहराया, मगर किसी सहाबी ने सामने से हरकत न की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को इसका सदमा हुआ कि मेरे हुक्म पर कोई अमल नहीं कर रहा। और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम चुप हो कर अपने खेमे के अंदर चले गए।"

अंदर खेमे में आपकी पत्नी हज़रत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो एक निहायत ज़ेरक ख़ातून थीं, यह सारा मंजर देख रही थीं। उन्होंने अपने मक़दूर और महबूब ख़ाविंद को फिक्रमंद हालत में अंदर आते देखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मुँह से उनकी फिकर और तशवीश की तफ़सीलें मालूम कीं, तो हमदर्दी और मोहब्बत के अंदाज़ में अर्ज किया, "हे रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम), आप रंज न फरमाएं। आपके सहाबा अल्लाह के फज़्ल से नाफ़रमान नहीं हैं। मगर इस सुलह की शर्तों ने उन्हें ग़म से दीवाना बना रखा है। फिर मेरा मशवरा यह है कि आप उनसे कुछ न फरमाएं, बल्कि चुपचाप बाहर जाकर अपने क़ुर्बानी के जानवर को ज़ब्ह कर दें और अपने सिर के बाल मुँढवा लें। फिर आपके सहाबा खुद-ब-खुद आपके पीछे होंगे।"

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को यह तजवीज़ पसंद आई और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बाहर आए और बग़ैर कुछ कहे अपने क़ुर्बानी के जानवर को ज़ब्ह करके अपने सिर के बाल मुँढवाने लगे। "सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह मंजर देखा तो जिस तरह एक सोया हुआ शख़्स कोई शोर इत्यादि सुनकर अचानक बेदार होता है, वे चौंक कर उठ खड़े हुए और दीवाने की तरह अपने जानवरों को ज़बह करना शुरू कर दिया और एक दूसरे के सिर के बाल मुँढवाने लगे।

परंतु ग़म ने इस क़दर बेचैन कर रखा था कि रावी बयान करता है कि

इस वक्त ऐसा आलम था कि डर था कि मुसलमान कहीं एक दूसरे के बाल मुँढवाते-मुँढवाते एक दूसरे की गर्दन न काट दें।

ख़ैर, हज़रत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की तजवीज़ कारगर हुई और जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक के अल्फाज़ वक़्त पर नाकाम रहे थे, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अमल ने सोए हुए लोगों को चौंका कर बिदार कर दिया।"

(सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम, हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु अन्हु, पृष्ठ 769-770)

यह हवाला भी सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का है।

चूँकि हुदैबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी क़ुर्बानी के ऊंट को ज़बह कर दिया, तो क़ुर्बानी के जानवरों में से अबू जहल का ऊंट जो बदर के माली ग़नीमात से था, उस वक़्त भाग गया जब वह चर रहा था। वह छोड़ा हुआ था और वह गया और उस पर हार पहना दिया गया था और इसका इशारा किया गया था। वह कुछ अरसे के लिए दौड़ गया, लेकिन आखिरकार उस समय पकड़ लिया गया और क़ुर्बानी के लिए लाया गया था। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को सात आदमियों की तरफ से ज़बह किया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सत्तर जानवरों को ज़बह किया। एक जानवर सात आदमियों की तरफ से था और उस दिन हम चौदह सौ लोग थे।

क़ुर्बानी करने वाले लोगों से ज्यादा वो लोग थे जिन्होंने क़ुर्बानी नहीं की थी। इतनी हैसियत नहीं थी।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हरम से बाहर क़ायम थे, लेकिन नमाज़ें हरम में अदा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने असलम क़बीला के एक आदमी के हाथ अपने क़ुर्बानी के जानवरों में से बीस जानवर भेजे ताकि वह इन जानवरों को मरवा के करीब ज़बह कर दे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जानवरों को ज़बह करने से फारिग़ हो गए तो खेमे में तशरीफ़ ले गए और हज़रत ख़िराश बिन उम्मिया रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और अपने सिर का हल्क करवाया और अपने बालों को एक जानिब में सब्ज़ ख़ारदार दरख़्त के ऊपर डाल दिया। लोग दरख़्त के ऊपर से बाल उठाने लगे और आपस में तक़सीम करने लगे। हज़रत उम्म उम्मारह रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपके कुछ बाल लिए। वह मरीज़ के लिए उन्हें पानी में डालतीं और मरीज़ को भी इलाज के लिए पिलातीं। तो कहते हैं कि जिनका इलाज किया जाता, उनमें से कुछ मरीज़ तंदुरुस्त हो जाते थे। इनमें बरकत थी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु में से कुछ ने कुछ सिर मंढवाए। कुछ ने बाल मंढवाए और कुछ ने बाल कटवाए, जिनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू क़ातिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपना सिर खेमे से बाहर निकाला और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कह रहे थे, "अल्लाह ताआला सिर मंढवाने वालों पर रहम करे।" आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि "या रसूलुल्लाह, और क़स्र करवाने वालों, यानी कटवाने वालों से?" तो

तीन दफ़ा आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा "अल्लाह सिर मंढवाने वालों पर रहम करे" और चौथी बार कहा "और क़स्र करने वालों, यानी बाल कटवाने वालों पर भी रहम करे।"

रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हुदैबिया में उन्नीस (19) दिन तक क़ायम रहे और कहा जाता है कि बीस (20) रातें क़ियाम किया। मुहम्मद बिन उमर अक़दी और इब्न साद ने इसका ज़िक्र किया है।

(सब्लुल् हुदा वल् रिशाद, भाग 5, पृष्ठ 57, दारुल कुतुब अल् इल्मिया, बेरूत)

(सीरत हल्बिया, भाग 3, पृष्ठ 34, दारुल कुतुब अल् इल्मिया, बेरूत)

हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे इस तरह बयान किया है कि "क़ुर्बानी इत्यादि से फारिग़ होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ वापसी का हुक्म दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को हुदैबिया में आए हुए कुछ कम बीस यूम हो चुके थे। जब आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम वापसी सफ़र में उस्फ़ान के क़रीब कुराआल ग़मीन में पहुंचे और यह रात का वक्त था तो ऐलान करा के सहाबा को इकट्ठा किया और फ़रमाया कि

"आज रात मुझ पर एक सूरः नाज़िल हुई है जो मुझे दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है

और वह यह है।"

اِنَّا فَتَحۡنَا لَکَ فَتۡحًا مُّبِیۡنًا ﴿۲﴾ لِّیَغۡفِرَ لَکَ اللّٰہُ مَا تَقَدَّمَ مِنۡ ذَنۡۢبِکَ وَ مَا تَاَخَّرَ وَ یُتِمَّ نِعۡمَتَہٗ عَلَیۡکَ وَ یَہۡدِیَکَ صِرَاطًا مُّسۡتَقِیۡمًا ﴿۳﴾ وَّ یَنۡصُرَکَ اللّٰہُ نَصۡرًا عَزِیۡزًا ..." یہ دو سے چار تک آیتیں ہیں سورت فتح کی۔ پھر اٹھائیسویں آیت بھی اس کے بارے میں ہے کہ "لَقَدۡ صَدَقَ اللّٰہُ رَسُوۡلَہُ الرُّءۡیَا بِالۡحَقِّ لَتَدۡخُلُنَّ الۡمَسۡجِدَ الۡحَرَامَ اِنۡ شَآءَ اللّٰہُ اٰمِنِیۡنَ مُحَلِّقِیۡنَ رُءُوۡسَکُمۡ وَ مُقَصِّرِیۡنَ لَا تَخَافُوۡنَ (الفتح :2تا4و 28)

अर्थात "हे रसूल ! हमने तुम्हें एक बड़ी जीत दी है ताकि हम तुम्हारे लिए एक ऐसे दौर की शुरुआत करें जिसमें तुम्हारी पिछली और आगे की सारी कमज़ोरियों पर माफी का परदा डाल दिया जाए और ताकि वह अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर पूरा करे और तुम्हारे लिए सफलता के सीधे रास्ते खोल दे और निस्संदेह अल्लाह तआला तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करेगा... हक़ यह है कि अल्लाह ने अपने रसूल को वह सपना पूरा कर दिया जो उसने रसूल को दिखाया था। क्योंकि अब तुम इन शा अल्लाह अवश्य ही शांति की स्थिति में मस्जिद हराम में प्रवेश करोगे और क़ुर्बानियों को अल्लाह की राह में पेश करके अपने सिर के बाल मंढ़वाओगे या कटवाओगे और तुम पर कोई डर नहीं होगा।"

यहां यह कहा गया है कि अगर तुम इस साल मक्का में प्रवेश करते तो यह प्रवेश शांति का नहीं बल्कि युद्ध और खून-ख़राबे का होता, लेकिन अल्लाह ने सपने में शांति का प्रवेश दिखाया था। इसलिए अल्लाह ने इस साल समझौते के परिणामस्वरूप शांति की स्थिति पैदा कर दी और अब जल्दी ही तुम अल्लाह के दिखाए हुए सपने के अनुसार शांति की स्थिति में मस्जिद हराम में प्रवेश करोगे। और सच में ऐसा ही हुआ।

जब आपने ये आयतें सहाबा को सुनाईं तो चूँकि कुछ सहाबा के दिल में अभी तक सुलह हुदैबिया की कड़वाहट बाक़ी थी, वे हैरान हो गए कि हम तो बेशक असफल होकर वापस जा रहे हैं और अल्लाह हमें विजय की बधाई दे रहा है। यहाँ तक कि कुछ जल्दबाज़ सहाबा ने इस प्रकार के शब्द भी कहे कि क्या यह विजय है कि हम तवाफ़-ए-बैतुल्लाह से वंचित होकर वापस जा रहे हैं? यह बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आपने बहुत गुस्से का इज़हार किया और एक संक्षिप्त सी तक़रीर में जोश के साथ कहा: "यह बहुत बेहुदा आपत्ति है, क्योंकि

अगर ग़ौर किया जाए तो वाक़ई सुलह हुदैबिया हमारे लिए एक बड़ी भारी विजय है।"

आपने कहा कि "क़ुरैश, जो हमारे खिलाफ युद्ध भूमि में उतरे थे, उन्होंने खुद युद्ध को छोड़कर शांति का समझौता कर लिया है और अगले साल हमारे लिए मक्का के दरवाजे खोलने का वादा किया है और हम शांति और सुरक्षा के साथ मक्का वालों की बग़ावतों से बचते हुए अगले फतहों की खुशबू के साथ वापस जा रहे हैं। तो यकीनन यह विजय एक बड़ी महान विजय है।

क्या तुम लोग उन दृश्यों को भूल गए हो कि यही क़ुरैश उहद और अहज़ाब की लड़ाइयों में किस तरह तुमसे लड़ने के लिए आए थे? और यह ज़मीन, बावजूद इसके कि यह बहुत बड़ी थी, तुम्हारे लिए तंग हो गई थी और तुम्हारी आँखें पत्थराई हुई थीं और तुम्हारा दिल मुंह को आ गया था। लेकिन आज यही क़ुरैश तुम्हारे साथ शांति और सुरक्षा का समझौता कर रहे हैं।" सहाबा ने अर्ज़ किया :

"हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम! हम समझ गए। हम समझ गए। जहाँ तक आपकी नज़र पहुंची है, वहाँ तक हमारी नज़र नहीं पहुंचती। मगर अब हम समझ गए हैं कि वाक़ई यह समझौता हमारे लिए एक बड़ी विजय है।"

(सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम, हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु अन्हु, पृष्ठ 770-772)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बयान फ़रमाते हैं कि :

"हुदैबिया की क़िस्से को अल्लाह तआला ने 'फत्ह मुबीन' के नाम से मंसूब किया है और फ़रमाया है।

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (अल-फ़त्ह : 2) वह विजय कई सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से छिपी हुई थी, बल्कि कुछ मुनाफ़िक़ीन के रद्दी के कारण बनी, परंतु दरअसल वह फत्ह मुबीन थी। हालांकि इसके प्रस्ताव ज्यादा गहरे और विचारशील थे।"

(अनवारुल इस्लाम, रूहानी खज़ायन, भाग 9, पृष्ठ 90)

अलामा बलाधुरी ने लिखा है कि सुलह के बहुत से नतीजे और फल प्रकट हुए। आखिरकार मक्का मकरमा फतह हुआ। सारे मक्का वाले इस्लाम में दाख़िल हो गए। लोग गुंथें-गुंथें इस्लाम में दाखिल होने लगे। इसका कारण यह था कि इस सुलह से पहले लोग आपस में मिल नहीं सकते थे और न ही उनके सामने आपकी स्थिति स्पष्ट थी। उनके पास ऐसा कोई शख्स नहीं था जो आपके हालात को विस्तार से बताता।

जब सुलह हुदैबिया हुई, तो लोग आपस में एक-दूसरे से मिले। मुश्रिकीन मदीना आए। मुसलमान मक्का गए। वे अपने घरवालों, दोस्तों और शुभचिंतकों से मिले। उनसे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अर्जात और चमत्कारों का वर्णन सुना। नबुवत की निशानियाँ जानी। आपकी शानदार सूरत और हुस्न की जानकारी प्राप्त की। बहुत से कामों का खुद मुआयना किया तो उनके भीतर इमान की ओर झुकाव हुआ। इतने से कुछ लोगों ने बहुत ही जल्द इस्लाम में दाख़िल हो गए और सुलह हुदैबिया और फतह मक्का के दरमियान इस्लाम को स्वीकार किया। दूसरे भी धीरे-धीरे इस्लाम की ओर झुके, यहां तक कि मक्का में सभी लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। अरब के लोग क़ुरैश के इस्लाम लाने के ही इंतेज़ार में थे। जब क़ुरैश इस्लाम में दाखिल हुए तो पूरा अरब इस्लाम में दाखिल हो गया।

(सब्लुल् हुदा वल् रिशाद, भाग 5, पृष्ठ 80, दारुल कुतुब अल् इल्मिया, बेरूत)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वर्णन फ़रमाते हैं कि "जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की, तो

सुलह हुदैबिया के पाक फल में से एक यह भी है कि लोगों को आपके पास आने का मौका मिला और उन्होंने आपके साथ बात की तो वे सैकड़ों मुसलमान बन गए।

जब तक वे आपकी बातें नहीं सुनते थे, तब तक उनके और आपके बीच एक दीवार खड़ी थी, जो उन्हें आपके हुस्न और ज़माल के बारे में जानकारी नहीं देती थी

और जैसा कि दूसरे लोग झूठा कहते थे (मआज़ अल्लाह) वैसे ही वे भी कह देते थे और उन फयज़ों और बरकतों से महरूम थे जो आप लाए थे, क्योंकि वे दूर थे। लेकिन जब वह पर्दा हटा और पास आकर देखा और सुना तो उन्हें अब कोई निराशा नहीं रही और वे खुशी से अच्छे लोगों के बीच दाखिल हो गए।"

(मुल्फ़ुज़ात, भाग 5, पृष्ठ 371, संस्करण 2022)

बाक़ी इन शा अल्लाह आगे ..

★ ★ ★

अख़बार बदर के अंकों की रक्षा करें

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की यादगार अख़बार "अख़बार बदर" 1952 ई.से लगातार क़ादियान दारुल अमान से मुद्रित हो रहा है, और जमआत की दीनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। इस में क़ुरआन-ए-क़रीम की आयात, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मलफ़ूज़ात और लेखनी के इलावा सय्यदना हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के ताज़ा ख़ुत्बात जुमा और खिताबात, अध्यात्मपूर्ण संदेश, ख़ुत्बा जुमा प्रश्न उत्तर के रूप में और हुज़ूर के दौराजात की निहायत ईमान अफ़रोज़ और दीनी और दुनियावी इल्म के ख़ज़ानों से भरपूर रिपोर्टस प्रकाशित होती हैं। इनका अध्यन करना, उनको दूसरों तक पहुंचाना, इन पर कर्म करना और उनके माध्यम से अपनी और अपने बच्चों की शिक्षा-और-तर्बीयत करना हम सब का फ़र्ज़ है। इन समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अख़बार बदर के शुमारों को हिफ़ाज़त के साथ अपने पास सुरक्षित रखना हम सब की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है।

दीनी शिक्षा-ओ-तर्बीयत पर आधारित यह मुक़द्दस अख़बार तक़ाज़ा करता है कि इसका सम्मान किया जाए। इसलिए उसको रद्दी में बेचना यह सम्मान का उल्लंघन करने के समान है। यदि इस को सँभालना मुम्किन न हो तो सावधानी के साथ इस को नष्ट करें ताकि इन पवित्र लेखनियों का अपमान न हो। उम्मीद है कि जमआत इस तरफ़ विशेष ध्यान फ़रमाएँ गी और इस से भरपूर लाभ प्राप्त करते हुए इन विषयों को समक्ष रखेंगे।

(संस्थान)

★ ★ ★

CHANDIGARH DIAGNOSTIC LABORATORY
थाने वाला चौक, ठीकरीवाल रोड, नज़दीक केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक क़ादियान
सभी प्रकार के शारीरिक टैस्ट (खून, मल,बलगम इत्यादि) कंप्यूटराइज्ड तरीके से उपलब्ध हैं।
हमारे सहभागी :- SRL (SUPER RANBAXY LABORATORIES), THYROCARE MUMBAI.

चौधरी खिज़र बाजवा दरवेश क़ादियान, लुकमान अहमद बाजवा
और जानकारी के लिए संपर्क करें :- इमरान अहमद बाजवा, रिज़वान अहमद बाजवा
फ़ोन नंबर :-+91-9646561639,+91-8557901648

ख़ुत्बः जुमअः

"आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने शुरू में ही फ़रमाया था कि अगर कोई मुसलमान मदीना से मुहां मोड़कर जाएगा तो वह एक गंदा अंग होगा, जिसका काटा जाना ही बेहतर था।

लेकिन इसके मुकाबले अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से मुसलमान होकर मक्का से निकलेगा तो चाहे उसे मदीना में जगह मिले या न मिले, वह जहाँ भी रहेगा, इस्लाम की मज़बूती का कारण बनेगा और आखिरकार अल्लाह उसके लिए कोई न कोई रास्ता खोल देगा।" (सीरत ख़ातमन नबिय्यीन)

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : "हे अबू बसीर! तुम जानते हो कि हम इन लोगों को अपना वचन दे चुके हैं और हमारे धर्म में वचन तोड़ना जायज़ नहीं है। इसलिए तुम इन लोगों के साथ चल जाओ।

फिर अगर तुम सब्र और स्थिरता के साथ इस्लाम पर कायम रहोगे, तो ख़ुदा तुम्हारे लिए और तुम जैसे अन्य मज़बूर मुसलमानों के लिए कोई न कोई मुक्ति का रास्ता खोल देगा।"

जब मक्का के अन्य छिपे और कमज़ोर मुसलमानों को यह जानकारी मिली कि अबू बसीर ने एक अलग ठिकाना बना लिया है, तो वे भी धीरे-धीरे मक्का से निकलकर सीफ़ुल बह्र में पहुंच गए। थोड़े समय में ही क़ुरैश ने हथियार डाल दिए और अबू बसीर के हमलों से परेशान होकर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सेवा में एक दूतावास के माध्यम से अनुरोध किया और अपनी रिश्तेदारी का हवाला देकर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से कहा कि सीफ़ुल बह्र के मुसाफ़िरों को मदीना में बुलाकर अपने राजनीतिक प्रबंध में शामिल कर लें और साथ ही हुदैबिया की शर्त, जिसमें मक्का के नए मुसलमानों को मदीना में शरण नहीं दी जाएगी, को अपनी ख़ुशी से रद्द कर दिया।

इंसाफ के दावे करने वालों के हमेशा से यही दोहरे मानक रहे हैं, जिन्होंने दुनिया में फ़साद पैदा किया हुआ है और आज भी वही फ़साद जारी हैं।

अल्लाह तआला आज भी दुनिया को और विशेषता मुसलमानों को समझदारी दे और इन दजाली फितनों से बचाए रखे।

हुदैबिया के हालात और घटनाओं का वर्णन तथा इस संबंध में ईसाई इतिहासकारों द्वारा उठाए गए आपत्तियों का मुँह तोड़ जवाब।"

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 06 दिसम्बर 2024 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिर्रे (यू.के)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَلَاالضَّآلِّيْنَ

"सुलह हुदैबिया के वर्णन में आज भी कुछ और विस्तार से वर्णन करूंगा।

सीरत ख़ातमन नबिय्यीन में हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु अन्हो ने एक वाक़िया का वर्णन किया है। लिखते हैं कि ''मुआहिदों में कुछ छिद्र रह जाते हैं जो कभी-कभी बाद में अहम नतीजों का कारण बन जाते हैं। चूंकि सुलह हुदैबिया में भी यह छिद्र रह गया था कि इसमें मुसलमान मर्दों की वापसी के बारे में स्पष्ट रूप से ज़िक्र था, परंतु ऐसी औरतों का कोई ज़िक्र नहीं था जो अहले मक्का में से इस्लाम क़बूल करके मुसलमानों में शामिल हो जाएं। परंतु जल्दी ही ऐसे हालात सामने आने लगे जिनसे काफ़िरों मक्का पर इस छिद्र का अस्तित्व खुलकर सामने आ गया। चूंकि इस मुआहिदे पर बहुत कम समय गुज़रा था कि मक्का से कुछ मुसलमान औरतें काफ़िरों के हाथ से छूट कर मदीना में पहुँच गईं। इनमें से सबसे पहले मक्का के एक मुश्रिक रईस उक़्बा इब्न अबी मुईत की लड़की उम्म-ए-कुलसूम थी जो माँ की तरफ से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हो इब्न अफ़ान की बहन भी थी। उम्म-ए-कुलसूम बड़ी हिम्मत दिखाकर पाँवों से मदीना पहुँची।'' इतना लंबा सफर इस औरत ने पैदल किया।

और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सेवा में हाज़िर होकर अपने इस्लाम का इज़्हार किया। मगर इसके पीछे-पीछे इसके दो करीबी रिश्तेदार भी इसके पकड़ने के लिए पहुँचे और इसकी वापसी का मुतालिबा किया। इन लोगों का दावा यह था कि (हालाँकि मुआहिदा में मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, परंतु) दरअसल मुआहिदा आम है और औरत-मर्द दोनों पर समान असर रखता है। परंतु उम्म-ए- कुलसूम मुआहिदा के अल्फ़ाज़ के अलावा इस आधार पर भी औरतों के मामले में दावा कर रही थी कि औरत एक कमज़ोर जिस्म से ताल्लुक़ रखती है और वैसे भी वह मर्द के मुकाबले में एक मातहत स्थिति में होती है, इसलिए उसे वापस करना दरअसल रूहानी मौत में धकेलना और इस्लाम से

महरूम करना है। इसलिए औरतों को इस मुआहिदा से मुस्तस्ना समझा जाना न केवल मुआहिदा के मुताबिक था, बल्कि अक़्लन भी क़रीब-ए-इन्साफ़ और ज़रूरी था। इस लिए फ़ितरी और इंसाफ़ी तौर पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उम्म कुलसूम के हक़ में फ़ैसला फ़रमाया और इसके रिश्तेदारों को वापस लौटा दिया और ख़ुदा तआला ने भी इस फ़ैसले की ताईद फ़रमाई। चूंकि इन्हीं दिनों में ये क़ुरआनी आयतें नाज़िल हुईं कि जब कोई औरत इस्लाम का समझ रखते हुए मदीना में आए, तो उसका अच्छे से इम्तहान किया जाए और अगर वह नेक-बख़्त और मुखलिस साबित हो, तो फिर उसे काफ़िरों की तरफ़ हरगिज़ न लौटाओ, लेकिन अगर वह शादीशुदा हो तो उसका महर उसके मुश्रिक ख़ाविंद को ज़रूर अदा कर दो। इसके बाद जब भी कोई औरत मक्का से निकल-कर मदीना पहुँचती थी, तो उसका अच्छे से इम्तहान लिया जाता था और उसकी नीयत और मुहब्बत को अच्छे से परखा जाता था। फिर जो औरतें नेक नीयत और मुखलिस साबित होतीं और उनकी हिजरत में कोई दुनियावी या नफ़सानी मक्सद नहीं पाया जाता था, तो उन्हें मदीना में रख लिया जाता था और अगर वह शादीशुदा होतीं तो उनका महर उनके ख़ाविंदों को अदा कर दिया जाता था। इसके बाद वह मुसलमानों में शादी करने के लिए आज़ाद होती थीं।''

(सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु अन्हु एम.ए, पृष्ठ 772-773)

संधि की शर्तों

के संदर्भ में एक घटना का उल्लेख मिलता है जो हज़रत अबू बसीर से संबंधित है। इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या इस प्रकार हुई है: "संधि हुदैबिया की शर्तों में से एक यह थी कि यदि कुरैश का कोई व्यक्ति इस्लाम अपनाकर मदीना की ओर आए, तो मदीना वाले उसे शरण नहीं देंगे बल्कि वापस लौटा देंगे। लेकिन यदि कोई मुसलमान इस्लाम छोड़कर मक्का का रुख करे, तो मक्का वाले उसे वापस नहीं करेंगे। यह शर्त मुसलमानों के लिए अपमानजनक समझी गई थी और इसी कारण कई मुसलमान इससे दुखी थे। यहां तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो जैसे महान और समझदार साथी भी इस समय की स्थिति से व्यथित थे।"

"इस शर्त पर असंतोष और बेचैनी उत्पन्न हुई थी। लेकिन इसके बाद शीघ्र ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं, जिनसे यह बात साबित हो गई कि वास्तव में यह शर्त कुरैश के लिए कमज़ोरी का कारण और मुसलमानों की ताकत का कारण बनी। क्योंकि जैसा कि पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने पहले ही कहा था, यदि कोई मुसलमान मदीना से इस्लाम छोड़कर जाएगा, तो वह एक दूषित अंग होगा।"

"मुनाफिक या ऐसे लोग, जिनके दिलों में खराबी थी, वही इस्लाम अपनाकर छोड़ सकते थे और धर्मत्यागी बनते थे। इसलिए यदि वह जाता है, तो बेशक जाए। उसे मदीना वापस लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए आपने पहले ही कह दिया था कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह एक दूषित अंग है, जिसे काट देना ही बेहतर था।

लेकिन इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से इस्लाम अपनाकर मक्का से निकलेगा, तो चाहे उसे मदीना में जगह मिले या न मिले, वह जहां भी रहेगा, इस्लाम की ताकत का कारण बनेगा और अंततः अल्लाह उसके लिए कोई न कोई रास्ता खोल देगा।

इस विचार ने शीघ्र ही अपनी सत्यता साबित कर दी, क्योंकि अभी पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को मदीना आए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि एक व्यक्ति अबू बसीर बिन असैद सक़फ़ी, जो मक्का का निवासी और कबीला बनू ज़ुह्रा का सहयोगी था, इस्लाम अपनाकर मक्का वालों की हिरासत से भागकर मदीना पहुंचा। कुरैश ने उसके पीछे-पीछे अपने दो लोग भेजे और पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से अनुरोध किया कि अबू बसीर को संधि की शर्त के अनुसार उनके हवाले कर दें। पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अबू बसीर को बुलाया और वापस जाने का आदेश दिया।

अबू बसीर ने समक्ष आकर विरोध किया और कहा, "मैं मुसलमान हूं और ये लोग मुझे मक्का में तंग करेंगे और इस्लाम से फिरने के लिए ज़बरदस्ती करेंगे।" पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "हम संधि के कारण मज़बूर हैं और तुम्हें यहां नहीं रख सकते। यदि तुम अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करोगे, तो अल्लाह खुद तुम्हारे लिए कोई रास्ता खोल देगा, लेकिन हम किसी भी हाल में संधि का उल्लंघन नहीं कर सकते।"

पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का संधियों पर कितना पालन था!

मजबूर होकर अबू बसीर उन लोगों के साथ वापस चल पड़े। लेकिन उनके दिल में यह भय था कि मक्का पहुंचने पर उन पर अत्याचार होंगे और उन्हें इस्लाम जैसे वरदान को छुपाना पड़ेगा, बल्कि शायद अत्याचार के कारण इसे छोड़ना पड़े।

इसलिए जब यह दल ज़ुल-हुलैफा में पहुंचा, जो मदीना से कुछ मील की दूरी पर मक्का के रास्ते पर है, तो अबू बसीर ने अवसर पाकर अपने साथियों में से एक को, जो दल का मुखिया था, मार डाला और लगभग दूसरे को भी निशाना बना लिया। लेकिन वह अपनी जान बचाकर इस तरह भागा कि अबू बसीर से पहले मदीना पहुंच गया।

अबू बसीर भी पीछे-पीछे मदीना पहुंच गए। जब वह व्यक्ति मदीना पहुंचा, तो पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मस्जिद में उपस्थित थे। उसकी भयभीत स्थिति देखकर आपने फ़रमाया, "लगता है इसे किसी बड़े भय ने झकझोर दिया है।"

फिर उसने स्वयं कांपते हुए घटना सुनाई और सांत्वना दी। इतने में अबू बसीर भी हाथ में तलवार लिए आ पहुंचे और आते ही उन्होंने कहा, "हे रसूलुल्लाह! आपने मुझे कुरैश के हवाले कर दिया था और आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे ज़ालिम क़ौम से मुक्ति दी है और अब आप पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं।"

पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अनायास फ़रमाया :

وَيۡلُ اُمِّهٖ مُسۡعِرُ حَرۡبٍ لَّوۡ كَانَ لَهٗ اَحَدٌ

अर्थात्, यह उसकी माँ के लिए बुरा होगा (ये शब्द अरब मुहावरों में शाब्दिक अर्थ की अनदेखी करते हुए, निन्दा, आश्चर्य या नाराज़गी व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं)। "यह व्यक्ति तो युद्ध की आग भड़काने वाला है, काश! कोई इसे संभालने वाला हो।"

अबू बसीर ने ये शब्द सुने तो समझ गए कि पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उन्हें हर हाल में संधि के कारण वापस जाने का आदेश देंगे। इस संदर्भ में बुख़ारी के शब्द हैं:

"فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ عَرَفَ اَنَّهٗ سَيَرُدُّهٗ اِلَيۡهِمۡ"

अर्थात, "जब अबू बसीर ने पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के ये शब्द सुने, तो जान लिया कि आप उन्हें मक्का वालों की ओर वापस भेज देंगे।"

इस पर वे चुपके से वहाँ से निकल गए और मक्का जाने के बजाय, जहाँ उन्हें शारीरिक और आत्मिक दोनों मौतें नज़र आ रही थीं, लाल सागर के तट की ओर चले गए और सैफ अल-बहर (समुद्र किनारे) पहुंच गए।

जब मक्का के अन्य छुपे हुए और कमज़ोर मुसलमानों को यह पता चला कि अबू बसीर ने एक अलग ठिकाना बना लिया है, तो वे भी धीरे-धीरे मक्का से निकलकर सैफ अल-बहर पहुंचने लगे।

इन्हीं में मक्का के प्रमुख सुहैल बिन अम्र का बेटा अबू जंदल भी शामिल था, जिसे पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने हुदैबिया से वापस लौटा दिया था।

इसका उल्लेख पहले किया गया था। धीरे-धीरे इनकी संख्या सत्तर के करीब या कुछ रिवायतों के अनुसार तीन सौ तक पहुँच गई।

इस तरह, मदीना के अलावा एक और इस्लामी राज्य की स्थापना हो गई, जो धर्म के हिसाब से पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के अधीन था, लेकिन राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और स्वायत्त था।

चूंकि हिजाज़ की सीमाओं में एक स्वतंत्र और स्वायत्त राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व कुरैश के लिए खतरा था, और दूसरी ओर सैफ अल-बहर के प्रवासी, कुरैश मक्का के ज़ुल्मों से गहरे आहत थे, तो अधिक समय नहीं बीता कि इन प्रवासियों और कुरैश के बीच संबंध लगभग वैसे ही बन गए, जैसे मदीना के प्रवासियों के संबंधों में शुरुआत में थे।

सैफ अल्-बहर मदीना से श्याम (सिरिया) जाने वाले रास्ते के बिल्कुल करीब था, इसलिए कुरैश के काफिलों के साथ इन प्रवासियों की मुठभेड़ होने लगी। इस नई स्थिति ने कुरैश के लिए खतरनाक रूप ले लिया, क्योंकि पहले तो कुरैश पूर्व युद्धों के कारण कमज़ोर हो चुके थे और दूसरी बात यह थी कि उनकी संख्या पहले से काफी कम हो गई थी।

इसके विपरीत, सैफ़ुल्-बहर की इस्लामी राज्य, जो अबू बसीर और अबू जंदल जैसे वीरों की अगुवाई में थी, ईमान के ताजगी भरे उत्साह और पूर्व

अत्याचारों की कड़वी यादों से भरी हुई थी, जो किसी मुकाबले की परवाह नहीं करती थी।

परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही समय में कुरैश ने हथियार डाल दिए। अबू बसीर के दल के हमलों से तंग आकर, उन्होंने पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सेवा में एक दूत भेजा और अपने रिश्तों का हवाला देते हुए अनुरोध किया कि सैफ़ुल् बहर के प्रवासियों को मदीना बुलाकर अपने राजनीतिक प्रशासन में शामिल कर लें।

साथ ही, हुदैबिया संधि की वह शर्त, जिसमें मक्का के नवन मुसलमानों को मदीना में शरण नहीं दी जा सकती थी, उसे उन्होंने अपनी खुशी से रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, "ठीक है, आप उन्हें रख सकते हैं।"

पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और अबू बसीर और अबू जंदल को एक पत्र के माध्यम से सूचना भिजवाई कि चूंकि कुरैश ने अपनी खुशी से संधि में संशोधन कर दिया है, इसलिए अब वे मदीना आ सकते हैं।

जब पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का संदेशवाहक सैफ अल-बहर पहुंचा, तो उस समय अबू बसीर बीमार थे और उनकी स्थिति नाज़ुक हो चुकी थी। अबू बसीर ने पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का पत्र बड़े उत्साह के साथ अपने हाथ में पकड़ा और थोड़ी देर बाद उसी स्थिति में उनका देहांत हो गया।

इसके बाद अबू जंदल और उनके साथियों ने अपने इस साहसी और बहादुर नेता को सैफ अल-बहर में ही दफ़न किया और खुशी और गम की मिश्रित भावनाओं के साथ पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सेवा में पहुंच गए।

गम इस बात का था कि उनके बहादुर नेता अबू बसीर, जो इस घटना के नायक थे, पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के कदमों में हाजिरी देने से वंचित रहे। और खुशी इस बात की थी कि वे स्वयं अपने आका के कदमों में पहुंच गए और कुरैश के खूनी संघर्ष से मुक्त हो गए।

(सिरत ख़ातमन नबिय्यीन, हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद एम.ए, पृष्ठ 774 से 777)

गैर-मुस्लिम इतिहासकार अपनी आदत के अनुसार इतिहास को तोड़-मरोड़ कर इस्लाम पर आपत्तियाँ करते रहते हैं।

सुलह हुदैबिया के संबंध में ईसाई इतिहासकारों की आपत्तियों का भी उल्लेख मिलता है।

इस संदर्भ में हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब रहमहुल्लाह ने लिखा है:

"शायद ही पैग़ंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के जीवन का कोई महत्वपूर्ण प्रसंग ऐसा हो, जिसे ईसाई इतिहासकारों ने बिना आपत्ति के छोड़ा हो।

सुलह हुदैबिया का प्रसंग भी इसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है।"

कुछ मामूली और गैर-महत्वपूर्ण आपत्तियों को छोड़कर, ईसाई लेखकों ने सुलह हुदैबिया के संबंध में दो मुख्य आपत्तियाँ की हैं:

यह कि पैग़ंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने सुलह हुदैबिया की शर्तों से महिलाओं को जो छूट दी, वह शर्तें समझौते के अनुसार वैध नहीं थीं, क्योंकि समझौते के शब्द सामान्य थे, जिनमें पुरुष और महिलाएँ दोनों शामिल थे।

यह कि अबू बसीर के प्रसंग में पैग़ंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने समझौते की भावना को तोड़ा। बल्कि अबू बसीर को यह संकेत देकर कि वे मक्का लौटने के बजाय एक अलग पार्टी बनाकर अपना कार्य कर सकते हैं, समझौते का उल्लंघन किया।

इन आपत्तियों का उत्तर देते हुए सबसे पहली बात यह याद रखनी चाहिए कि यह समझौता कुरैश मक्का के साथ हुआ था। और कुरैश मक्का वह कौम थी, जो इस्लाम के आरंभ से ही पैग़ंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के खिलाफ संघर्ष करती आ रही थी।

और जब समझौता हो रहा था, तब भी यह देखा गया कि उनके प्रतिनिधि किस प्रकार छोटी-छोटी बातों पर आपको टोक रहे थे।

फिर भी, वे हर बात पर आपत्ति करने और ताना देने की आदत से मजबूर थे। और वैसे भी वे कोई दूर-दराज की अजनबी कौम नहीं थे, बल्कि पैग़ंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की अपनी ही कौम के लोग थे, जिन्हें सभी परिस्थितियों का पूरा ज्ञान था।

इसलिए यह कहना कि पुरुष और महिलाएँ समझौते में शामिल थीं, उनके लिए पहले से ही स्पष्ट था कि कौन शामिल है और कौन नहीं।

फिर वे लिखते हैं:

"इसके अलावा, समझौते की सभी शर्तों और उनके पूरे पृष्ठभूमि का ज्ञान भी उनकी आँखों के सामने था। इसलिए जब मक्का के कुरैश, जो इस समझौते के पक्षकार थे, ने पैग़ंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के इस कार्य पर कोई आपत्ति नहीं की और इसे समझौते के खिलाफ नहीं समझा, तो तेरह सौ साल बाद आने वाले लोगों को, जिनकी आँखों से बहुत सी बातें छिपी हुई हैं और जिन्हें इस समझौते के पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी नहीं है, आपत्ति का अधिकार कैसे हो सकता है?"

उन बहुदेववादियों ने तो आपत्ति नहीं की, लेकिन आजकल इस्लाम पर आपत्ति करने वाले पाश्चात्य आलोचक आपत्तियाँ कर रहे हैं।

"यह तो ऐसा मामला है जैसे 'मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त'। जिनके साथ यह सारा प्रसंग हुआ, वे तो इसे सही मानकर चुप रहते हैं, लेकिन तेरह सौ साल बाद आने वाले लोगों ने जैसे आसमान सिर पर उठा रखा है।

आखिर ऐसा क्यों है कि, बावजूद इसके कि कुरान, हदीस और अरब का इतिहास उन आपत्तियों से भरा पड़ा है, जो काफिर-ए-मक्का और अन्य अरब के काफिरों ने पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और इस्लाम के खिलाफ की थीं, लेकिन कहीं यह उल्लेख नहीं मिलता कि मुसलमानों पर सुलह हुदैबिया के उल्लंघन का आरोप लगाया गया हो।"

एक लंबे समय तक इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। आज इन्हें पता चल रहा है कि इस पर आपत्ति करें।

"इसके अलावा, यह बात सबसे ठोस प्रमाण से सिद्ध है कि जब सुलह हुदैबिया के बाद पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने क़ैसर-ए-रूम की ओर एक प्रचार पत्र भेजा, और संयोग से उस समय अबू सुफियान बिन हरब, जो मक्का का प्रमुख था, भी शाम गया हुआ था। तब हरकल, जो रोम का सम्राट था, ने उसे अपने दरबार में बुलाकर पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बारे में कुछ सवाल पूछे।

उनमें से एक सवाल यह भी था कि 'क्या तुम्हारी कौम के इस नबी ने कभी किसी समझौते का उल्लंघन किया है?' तो इस सवाल के जवाब में अबू सुफियान, जो उस समय इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और प्रमुख विरोधी था, ने यह कहा: 'नहीं, मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने कभी किसी समझौते का उल्लंघन नहीं किया। हां, आजकल हमारे साथ उनका एक समझौता चल रहा है, और मैं नहीं कह सकता कि इस समझौते की समाप्ति तक उनकी ओर से क्या होगा।' अबू सुफियान कहता है कि इस पूरी बातचीत में मुझे केवल इतना ही मौका मिला कि मैं इस वाक्य को जोड़कर हरकल के दिल में पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के खिलाफ कोई शक पैदा कर सकूं।"

अबू सुफियान और हरकल की यह बातचीत सुलह हुदैबिया के तुरंत बाद नहीं हुई थी। बल्कि यह तब हुई जब पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने हरकल को पत्र भेजा, वह पत्र हरकल तक पहुंचा, फिर उसने दरबार बुलाया और अबू सुफियान को ढूंढकर अपने दरबार में बुलाया। इन सभी प्रक्रियाओं में अनिवार्य रूप से समय लगा होगा।

क्योंकि उस समय यात्रा करना कोई आसान काम नहीं था।

और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तब तक अबू बसीर के मदीना भागकर आने और उम्मे कुलसूम जैसी मुसलमान महिलाओं के मक्का से निकलकर मदीना पहुंचने की घटनाएं हो चुकी थीं। इसी कारण सभी इतिहासकार अबू बसीर और उम्मे कुलसूम की घटना को पहले और क़ैसर-ए-रूम को पत्र भेजने की घटना को उसके बाद बताते हैं।

लेकिन इसके बावजूद, अबू सुफियान ने हरकल के दरबार में पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर समझौते के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया।

जबकि उसके शब्द यह बताते हैं कि वह यह चाहता था कि यदि उसे कोई मौका मिले तो वह इसका लाभ उठाए।

लेकिन फिर भी, तेरह सौ साल बाद पैदा हुए आलोचक, पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ईश्वर का भय महसूस नहीं करते।

अफ़सोस! अफ़सोस!"

"फिर अगर इन आपत्तियों का विस्तार से विश्लेषण किया जाए, तो उनकी

कमज़ोरी और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है।

उदाहरण के लिए, पहला आपत्ति यह है कि वास्तव में समझौते में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थीं, लेकिन पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने जबरदस्ती महिलाओं को इससे बाहर कर दिया। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया है, यह आपत्ति पूरी तरह से गलत और आधारहीन है क्योंकि समझौते के वे शब्द, जो सबसे प्रामाणिक वर्णन में दर्ज हैं, स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि समझौते में केवल पुरुषों का ही उल्लेख था, न कि पुरुषों और महिलाओं दोनों का।

जैसा कि सही बुख़ारी में दर्ज है:

لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلٰى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا۔

अर्थात, "हमारे जो भी पुरुष आपकी ओर आएंगे, चाहे वे आपके धर्म के अनुयायी ही क्यों न हों, उन्हें हमारी ओर लौटा दिया जाएगा।"

इन स्पष्ट और बिना किसी संदेह के शब्दों के होते हुए, यह दावा करना कि समझौते में वास्तव में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, केवल अन्यायपूर्ण ही नहीं, बल्कि अत्यंत बेईमानी है।

और यदि यह कहा जाए कि कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में समझौते के शब्दों में "पुरुष" का उल्लेख नहीं है, बल्कि सामान्य शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल माने जा सकते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि सबसे प्रामाणिक स्रोत को प्राथमिकता दी जाएगी। जब सबसे विश्वसनीय स्रोत में "पुरुष" का स्पष्ट उल्लेख है, तो इसे ही सही माना जाएगा।

इसके अलावा, जो शब्द ऐतिहासिक स्रोतों में आते हैं, वे भी यदि ध्यानपूर्वक देखें, तो उसी व्याख्या की पुष्टि करते हैं जो हमने पहले दी है। उदाहरण के लिए, सीरत इब्न हिशाम, जो सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक इतिहास पुस्तकों में से एक है, में यह लिखा है:

مَنْ اَتٰی مُحَمَّدًا مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهٖ رَدَّهٗ عَلَيْهِمْ۔

अर्थात, "कुरैश में से जो भी व्यक्ति मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पास अपने अभिभावक की अनुमति के बिना पहुंचेगा, उसे कुरैश की ओर लौटा दिया जाएगा।"

इन शब्दों में भले ही "पुरुष" का स्पष्ट उल्लेख न हो, लेकिन अरबी भाषा का मूल ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि अरबी में पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शब्द और अलग-अलग सर्वनाम होते हैं। उपरोक्त वाक्य में शुरुआत से अंत तक पुरुषों के लिए ही सर्वनाम और शब्दों का उपयोग किया गया है।

इसलिए, समझौते की भाषा की व्याख्या के सिद्धांत के अनुसार, इस वाक्य में केवल पुरुष ही शामिल माने जाएंगे, न कि पुरुष और महिलाएं दोनों।

इसके अलावा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, महिला जो कि एक कमज़ोर वर्ग होती है और अक्सर अपने पति या पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर होती है, उसे वापस भेजने का अर्थ यह होता कि उसे इस्लाम अपनाने के बाद फिर से अपने ही हाथों से कुफ्र और शिर्क की ओर लौटा दिया जाए। यह केवल करुणा और सहानुभूति के सिद्धांतों से ही नहीं, बल्कि न्याय और इंसाफ के सिद्धांतों से भी परे था।

यद्यपि एक पुरुष को वापस लौटाने में भी यह खतरा था कि मक्का के काफिर उसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं और कष्ट देंगे, फिर भी पुरुष इन तकलीफों का सामना अधिक प्रभावी रूप से कर सकता था। वह आवश्यकता पड़ने पर छिप सकता था, भाग सकता था, या एक समूह बना सकता था। जैसा कि अबू बसीर ने किया। लेकिन एक असहाय महिला क्या कर सकती थी? उसके लिए ऐसे हालात में इस्लाम से जबरन वंचित होने या मृत्यु के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

इन परिस्थितियों में, पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जैसे दयालु और कृपालु व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल असंभव था कि असहाय और बेसहारा मुस्लिम महिलाओं को अत्याचारी काफिरों के जुल्मों के हवाले कर देते।

इसलिए, जो कुछ किया गया, वह न केवल समझौते के शब्दों के अनुसार पूरी तरह सही और उचित था, बल्कि न्याय, इंसाफ, और करुणा के सिद्धांतों के अनुसार भी सही और उपयुक्त था। और आपत्ति करने वालों के हिस्से में केवल यह शर्मनाक तथ्य आया कि उन्होंने असहाय और बेसहारा महिलाओं की सुरक्षा के प्रयास पर भी आलोचना करने से परहेज नहीं किया।"

"दूसरी आपत्ति अबू बसीर के घटना से संबंधित है।

लेकिन जब इस पर गहराई से विचार किया जाए, तो यह आपत्ति भी पूरी तरह कमज़ोर और आधारहीन साबित होती है।

निःसंदेह पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने यह समझौता किया था कि मक्का के काफिरों में से जो व्यक्ति, अर्थात पुरुष, मदीना भागकर आएगा, तो चाहे वह मुसलमान ही क्यों न हो, उसे मदीना में शरण नहीं दी जाएगी और वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इस समझौते का उल्लंघन किया? हरगिज़ नहीं।

बल्कि आपने इस समझौते के पालन का ऐसा उत्तम और अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि दुनिया उसकी मिसाल लाने में असमर्थ है। विचार करें और देखें कि अबू बसीर, इस्लाम की सच्चाई स्वीकार करते हुए, मक्का से भागता है और काफिरों के अत्याचारों से बचने और अपने ईमान को सुरक्षित रखने के लिए छिपते-छिपाते मदीना पहुंचता है। लेकिन उसके क्रूर रिश्तेदार भी उसके पीछे-पीछे पहुंचते हैं और उसे जबरदस्ती वापस ले जाने का प्रयास करते हैं ताकि उसे तलवार के जोर से इस्लाम से हटाया जा सके।

इस पर ये दोनों पक्ष पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सेवा में उपस्थित होते हैं। अबू बसीर गहरे दुःख और डरे हुए स्वर में अर्ज करता है:

"हे रसूलुल्लाह! अल्लाह ने मुझे इस्लाम की नेअमत से नवाज़ा है। मक्का वापस जाने का मतलब मेरे लिए ख़तरों और यातनाओं से भरी ज़िंदगी है। अल्लाह के लिए, मुझे वापस न भेजें।"

लेकिन दूसरी ओर, अबू बसीर के रिश्तेदार पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से यह मांग करते हैं कि :

"आपने हमसे यह समझौता किया है कि हमारा जो व्यक्ति भी मदीना आएगा, उसे वापस लौटा दिया जाएगा।"

अबू बसीर का दर्द और अपने साथियों की गैरत आपकी आंखों के सामने थी। स्वयं आपके भावनाएं भी आपके दिल में उथल-पुथल मचा रही थीं। यह आपके लिए बहुत कठिन परीक्षा थी। लेकिन आप, जो ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रतीक थे, अपने समझौते पर चट्टान की तरह अडिग रहते हुए, बड़े ही सजीव और प्यारे शब्दों में फ़रमाते हैं:

"हे अबू बसीर! तुम जानते हो कि हमने इन लोगों से वादा किया है, और हमारे धर्म में वादा तोड़ना जायज़ नहीं है।"

यहां एक इंसान की जान का सवाल था, लेकिन आपने साफ़ तौर पर यह कहा कि हमारे धर्म में वादा तोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें अपने छोटे-छोटे वादों को तोड़ने पर विचार करना चाहिए और अपनी ईमानदारी पर नज़र डालनी चाहिए।

फिर आपने फ़रमाया:

"इसलिए तुम इन लोगों के साथ चले जाओ। अगर तुम सब्र और इस्लाम पर दृढ़ रहोगे, तो अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम जैसे अन्य असहाय मुसलमानों के लिए कोई न कोई मुक्ति का रास्ता ज़रूर खोलेगा।"

और फिर हमने देखा कि वह रास्ता खुल गया।

पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के इस निर्देश पर, अबू बसीर मक्का के लोगों के साथ वापस चला गया। लेकिन जब वह रास्ते में अपने कब्जा करने वालों के साथ संघर्ष में विजयी होकर फिर से मदीना लौट आया, तो आपने उसे देखकर गुस्से में फ़रमाया:

وَيْلُ أُمِّهٖ مُسْعِرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهٗ أَحَدٌ۔

"वैलु उम्मिही मुसअिरु हरबिन लौ काना लहु अहदुन।"

अर्थात: "उसकी मां के लिए बर्बादी हो! यह व्यक्ति तो लड़ाई की आग भड़काने वाला है। काश, इसे कोई संभालने वाला होता।"

यह सुनते ही अबू बसीर समझ गया कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उसे वापस लौटा देंगे। इसलिए वह मदीना से चुपके से निकल गया और एक दूरस्थ स्थान पर अपना ठिकाना बना लिया।

अब इस पूरे मामले को न्याय की दृष्टि से देखें। इसमें पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर क्या जिम्मेदारी बनती है और आपके खिलाफ क्या आपत्ति की जा सकती है?

वास्तव में, सच्चाई यह है कि आपने इस मामले में अपनी भावनाओं को कुचलते हुए समझौते को पूरा किया। और यह केवल एक बार नहीं, बल्कि दो बार

अबू बसीर को लौटाया।

और लौटाया भी इस तरह के शानदार शब्दों में कि दुनिया के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने अपने दिल की भावनाओं को दबाया, अपने साथियों की भावनाओं को दबाया और अबू बसीर की भावनाओं को दबाया। हर हाल में समझौते को पूरा किया।

फिर, अगर अबू बसीर स्वयं मक्का के लोगों से स्वतंत्र होकर कहीं और चला गया, तो इसमें पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर क्या आपत्ति हो सकती है? और समझौते की ऐसी कौन-सी शर्त थी जिसके तहत आप यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य थे कि मक्का से भागने वाला व्यक्ति कहीं भी हो, उसे वापस मक्का ही पहुंचाया जाएगा?

अफसोस! अफसोस!! इस्लाम के दुश्मनों ने किसी भी मामले में इस्लाम के साथ न्याय नहीं किया।"

"और अगर यह आपत्ति की जाए कि पैग़ंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अबू बसीर को उनके स्थापित कैंप में यह आदेश भेज सकते थे कि वह मदीना वापस लौट आएं, और यह कहा जाए कि चूंकि आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपने समझौते के शब्दों का तो उल्लंघन नहीं किया, लेकिन उसकी भावना को तोड़ा, तो यह भी एक बहुत ही कमज़ोर और आधारहीन आपत्ति है।

यह आपत्ति भी पूर्ण रूप से अज्ञानता पर आधारित है और खुद समझौते के शब्द और उनकी भावना इसे खारिज कर देते हैं।

समझौते की यह शर्त कि यदि कोई मक्का का निवासी मुसलमान होकर मदीना पहुंच जाए, तो पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उसे वापस लौटा देंगे, साफ़ तौर पर यह साबित करती है कि इस शर्त का उद्देश्य यह था कि ऐसे व्यक्ति को, भले ही वह मुसलमान हो, मदीना की इस्लामी राजनीति के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा।

अर्थात वह विश्वास के लिहाज से मुसलमान होगा, लेकिन पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उसे अपनी राजनीतिक संरचना में सम्मिलित नहीं करेंगे।

तो जब ऐसा व्यक्ति खुद समझौते की शर्तों के अनुसार मदीना की इस्लामी राजनीति से बाहर कर दिया गया था, तो यह कैसे संभव हो सकता था कि उसे, जहां कहीं भी वह हो, पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आदेश देकर वापस बुला लें?

इसलिए यह कितना बड़ा अन्याय है कि अगर पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ऐसे व्यक्ति को मदीना में रखते हैं, तो आप पर यह आपत्ति की जाती है कि आपने वादा किया था कि मुसलमान होने के बावजूद आप उसे अपनी राजनीति में शामिल नहीं करेंगे। और अगर आप उसे अपनी राजनीतिक संरचना से बाहर कर, मक्का के लोगों को सौंपते हैं और मदीना से निकालते हैं, तो यह आपत्ति की जाती है कि आपने उसे अपनी राजनीति में शामिल करके आदेश क्यों नहीं भेजा।

इस प्रकार, राजनीतिक दृष्टि से यह एक बहुत ही कमज़ोर और निरर्थक आपत्ति है, जिस पर कोई भी समझदार व्यक्ति ध्यान नहीं दे सकता।

वास्तविकता यह है कि यह अजीब शर्त, जो काफिरों ने समझौते में जोड़ी थी, कि किसी मुसलमान प्रवासी को मदीना में शरण न दी जाए, खुद उनके लिए एक सज़ा बन गई।

अल्लाह ने यह दिखा दिया कि हमारे रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने तो हर हाल में समझौते की शर्तों का पालन किया, लेकिन तुमने अपने रास्ते में खुद कांटे बोए और अपने ही बनाए हथियार से अपने हाथ काट लिए।

जब तुमने खुद कहा कि मक्का का जो भी युवा मुसलमान होकर मदीना जाएगा, पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उसे मदीना में नहीं रखेंगे और उसे मदीना की राजनीति से बाहर समझा जाएगा, तो फिर उसी मुंह से यह कैसे मांग सकते हो कि मदीना की राजनीति से बाहर लोग, जहां कहीं भी हों, पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आदेश देकर उन्हें मक्का पहुंचाएं?

यह पूरी तरह से अज्ञानता है।

तुमने खुद यह शर्त रखी कि पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ऐसे लोगों की आत्माओं और उनके परलोक के मामलों पर अधिकार रखें, लेकिन उनके राजनीतिक और सांसारिक मामलों पर नहीं।

राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, और कानूनी रूप से उनका आप पर कोई अधिकार नहीं होगा।

हाँ, वे मुसलमान हैं, आध्यात्मिक रूप से वे पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की बैअत में शामिल हुए हैं, मुसलमान और मोमिन कहलाएंगे।

लेकिन खुद उन्होंने यह शर्त रखी थी कि राजनीतिक रूप से वे तुम्हारे नहीं होंगे। और आपने इसे स्वीकार कर लिया कि ठीक है।

जब तुमने खुद उन्हें पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की राजनीति से बाहर कर दिया, तो फिर पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर आपत्ति कैसी?

किसी भी स्थिति में, यह क़ुरैश के मक्कावासियों की अपनी चाल थी, जो अंततः उन्हीं पर पलट कर पड़ी। पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का दामन हर हाल में पाक और स्वच्छ था।

आपने समझौते के शब्दों का भी पालन किया और अबू बसीर को मक्का वालों के हवाले करते हुए मदीना से विदा किया। और आपने समझौते की भावना का भी पालन किया।

जैसा कि इस शर्त का वास्तविक उद्देश्य था, आपने अबू बसीर और उनके साथियों को अपनी राजनीतिक संरचना के दायरे से बाहर रखा।

इस प्रकार, आप हर दृष्टि से सच्चे साबित हुए, और क़ुरैश मक्का खुद अपने बिछाए जाल में फँस गए।

अंततः, वे खुद अपमानित होकर आपके पास आए और कहा कि हम इस शर्त को समझौते से हटा देते हैं।"

"और यह कहना कि पैग़ंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने यह शब्द कहकर कि 'वैलु उम्मिही मुस'इरु हरबिन लौ काना लहु अहदुन' (अर्थात 'उसकी माँ के लिए बर्बादी हो, यह व्यक्ति तो युद्ध की आग भड़काने वाला है। काश उसे कोई संभालने वाला होता') अबू बसीर को यह संकेत दिया था।"

यह आपत्ति भी लगाई जाती है कि इन शब्दों में अबू बसीर को यह संकेत दिया गया था कि "तुम अलग पार्टी बनाकर क़ुरैश से युद्ध शुरू कर दो। यह कितना अन्याय और कितनी गंदी मानसिकता है और परिस्थितियों की कितनी अज्ञानता है! यह शब्द तो पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सच्चाई और अनावश्यक युद्ध से उनकी दूरी का स्पष्ट प्रमाण हैं।" आपने कहा, "क्या यह व्यक्ति युद्ध भड़काना चाहता है?" न कि यह संकेत दिया कि "तुम युद्ध भड़काओ।"

"और यह बात साबित करती है कि आपने अबू बसीर के इस कार्य से असहमति और नाराज़गी व्यक्त की, न कि उन्हें किसी गुप्त संकेत के माध्यम से युद्ध के लिए उकसाया।

और यदि कोई व्यक्ति यह सोचे, जैसा कि सर विलियम म्योर ने सोचा, कि पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के अंतिम शब्द 'लौ काना लहु अहदुन' का मतलब यह भी हो सकता है कि 'यदि इसे कोई साथी मिल जाए,' और इससे यह पता चलता है कि आपका यही उद्देश्य था कि अगर अबू बसीर को कोई साथी मिल जाए तो वह युद्ध की आग भड़काए, और इस प्रकार इस कथन में युद्ध के लिए उकसाने का संकेत पाया जाता है।

तो इसका उत्तर यह है कि सबसे पहले, जो अर्थ हमने बताए हैं, वे अरबी मुहावरे के बिल्कुल अनुकूल हैं।" जो हमने इतिहास से बयान किए हैं। "जिसके उदाहरणें हदीस में भी बहुतायत से मिलती हैं। इसके अलावा, यदि परिकल्पना के अनुसार दूसरे अर्थ भी उचित हों," जैसे कि विलियम म्योर देना चाहते हैं, "तो भी वाक्य के संदर्भ और पृष्ठभूमि में इस वाक्य का मतलब इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता कि यदि अबू बसीर को कोई हमख्याल साथी मिल जाए, तो वह युद्ध की आग भड़का देगा, लेकिन शुक्र है कि उसे मदीना में ऐसा कोई साथी नहीं मिला।"

"इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अगर साथी मिलता भी तो यह मदीना के बाहर ही होता।

"अतः चाहे जो भी अर्थ निकाले जाएं, इस वाक्य का संदर्भ और इसका आरंभिक भाग यह पर्याप्त प्रमाण है कि पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का उद्देश्य अबू बसीर को डांटना था, न कि युद्ध के लिए उकसाना।

क्या कोई ऐसा व्यक्ति, जो अपने वाक्य की शुरुआत इस तरह के गुस्से और नाराजगी से करता है कि 'फला व्यक्ति की माँ के लिए बर्बादी हो, वह तो युद्ध की आग भड़काने वाला है,' उसके तुरंत बाद यह कह सकता है कि 'हाँ, हाँ, युद्ध की आग भड़काओ'? आखिर आपत्ति करने की चाह में समझदारी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।"

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e-mail : badarqadian@gmail.com
www.akhbarbadr.in

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN PUNHIN/2016/70553
Weekly BADAR Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
POSTAL REG. No.GDP 45/ 2023-2025 Vol. 10 Thursday 23 January 2025 Issue No. 4

MANAGER :
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mobile : +91-9915379255
e-mail:managerbadrqnd@gmail.com
www.alislam.org/badr

लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो ओरिएंटलिस्ट (Orientalists) हैं, खुद को पढ़ा-लिखा कहते हैं, लेकिन जब पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की बात आती है, इस्लाम की बात आती है, तो यह पूरी तरह से समझदारी से परे बातें करने लगते हैं।

"फिर सबसे बड़ी बात यह देखने वाली है कि खुद अबू बसीर पर पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के इन शब्दों का क्या प्रभाव पड़ा और उन्होंने आपका क्या मतलब समझा।

इसके बारे में इसी वर्णन में यह शब्द आते हैं: 'फ़लम्मा समीआ ज़ालिका अ'रफ़ अन्नहु सयरुद्धु इलाईहिम' अर्थात 'जब अबू बसीर ने पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के यह शब्द सुने, तो उसने समझ लिया कि आप उसे मक्का वालों की ओर वापस भेज देंगे।' जिसके बाद वह चुपके से भागकर दूसरी ओर निकल गया।

अफ़सोस! बेहद अफ़सोस!! कि जिस व्यक्ति को संबोधित करके ये शब्द कहे गए, उसने तो इनका यही अर्थ समझा कि पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने उसके इस कार्य को नापसंद किया है और आप उसे मक्का की ओर लौटाने वाले हैं।

लेकिन हमारे तेरह सौ साल बाद आने वाले मेहरबान यह कह रहे हैं कि वास्तव में आपने अबू बसीर को अलग पार्टी बनाकर युद्ध करने का इशारा दिया था।

द्वेष रखने वालों का सत्यानाश हो। अन्याय की भी कोई सीमा होनी चाहिए।"

(सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एम.ए. पृष्ठ 778 से 785)

इंसाफ के दावेदारों के हमेशा से यही दोहरे मापदंड रहे हैं, जिन्होंने दुनिया में फ़साद फैलाया हुआ है, और आज भी यही फ़साद चल रहे हैं।

अल्लाह तआला आज भी दुनिया को, और विशेष रूप से मुसलमानों को, समझदारी दे और इन दज्जाली फ़ितनों से बचाए रखे।

★ ★ ★

हर उस चीज़ से बचो जो धर्म में बुराई और बिद्दत पैदा करने वाली है

हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहु-ल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं

"हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमाअत में शामिल होने के लिए हर उस चीज़ से बचना होगा जो दीन में बुराई और बिद्दत पैदा करने वाली है .. बहुत सी बुराईयाँ हैं जो शादी ब्याह के अवसर पर की जाती हैं और जिनकी देखा देखी दूसरे लोग भी करते हैं। इस तरह समाज में ये बुराईयां जो हैं अपनी जड़ें गहरी करती चली जाती हैं और इस तरह दीन में और निज़ाम में एक बिगाड़ पैदा हो रहा होता है।"

(उद्धृत मशअले राह, भाग 5 हिस्सा 3 पृष्ठ 153)

★ ★ ★

इस्लाम और जमाअत अहमदिय्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें

नूरुल इस्लाम नं. (टोल फ्री सेवा)
1800 3010 2131
(शुक्रवार को छोड़ कर सभी दिन सुबह 9 00 बजे से रात 11 00 बजे तक)
Web.www.alislam.org
www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान की वैकेंसी दर्जा दोम के लिए शर्तें

(1) अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम न हो। (2) अभ्यर्थी की शिक्षा कम से कम 10+2 45% फ़ीसद नंबरात के साथ होनी चाहिए। (3)अभ्यर्थी उर्दू/अंग्रेज़ी कम्पोज़िंग जानता हो और तेज़ी 25 शब्द प्रति मिनट हो। (4) इस ऐलान के बाद 2 माह के अंदर जो निवेदन प्राप्त होंगें उन्हीं पर ग़ौर होगा। (5) निसाब परीक्षा कमीशन बराए कारकुनान दर्जा दोम निम्नलिखित है। परीक्षा के प्रत्येक भाग में सफल होना अनिवार्य है।

प्रथम भाग

★ क़ुरआन-ए-करीम नाज़रा मुकम्मल। पहला पारः अनुवाद सहित चालीस जवाहर पारे, अरकान-ए-इस्लाम, पूर्ण नमाज़ अनुवाद सहित। (30 अंक)

द्वितीय भाग

★ कशती-ए-नूह, बरकतुंद-दुआ, दीनी मालूमात
जमाअत अहमदिया के अकायद के विषय में मजमून, दुर्रे समीन से नज़्म (शान-ए-इस्लाम) (20 अंक)

तृतीय भाग

★ अंग्रेज़ी भाषा इंटरमीडीयेट के मयार के अनुसार(10+2),(20 अंक)

चतुर्थ भाग

★ हिसाब मैट्रिक के मयार के अनुसार (दफ़्तरी इमपरस्ट से संबधित प्रश्न)(20 अंक)

पंचम भाग

★ साधारण ज्ञान (G.K) - (10 अंक)

(6) लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थीयों का ही इंटरव्यू होगा। (7) लिखित परीक्षा, कम्पयूटर टैस्ट और इंटरव्यू में सफ़लता की सूरत में अभ्यर्थी को नूर हस्पताल क़ादियान से चिकित्सा परीक्षण करवाना होगा और केवल वही अभ्यर्थी ख़िदमत के योग्य होंगे जो नूर हस्पताल की तिब्बी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सेहत मंद और तंदरुस्त होंगे। (8) स्लैक्शन की सूरत में अभ्यर्थी को क़ादियान में अपने रहने का इंतेज़ाम स्वयं करना होगा। बाद में रहने के संबंध में किसी निवेदन पर कोई कारवाई नहीं होगी। (9) यात्रा का ख़र्च क़ादियान आना जाना अभ्यर्थी के अपने ज़िम्मा होंगा।

(नोट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की तिथि से अभ्यर्थी को बाद में अवगत किया जाएगा।)

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
नज़रात दीवान सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान, पिन कोड 143516
मोबाइल 09888232530, 09682627592
दफ़्तर 01872-501130
ई-मेल diwan@qadian.in

★ ★ ★

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor:Shaikh Mujahid Ahmad